"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 258-अ] रायपुर, सोमवार, दिनांक 29 अगस्त 2011—भाद्र 7, शक 1933

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 अगस्त 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-6/2011/1-7.—दिनांक 06-07-2011 को थाना चांदो अन्तर्गत ग्राम-नवाडीह, चेड़रा नाला के किनारे हुई पुलिस मुठभेड़ में कुमारी मीना खलखों की मृत्यु हो गई, और चूंकि राज्य सरकार की यह राय है कि इस घटना से संबंधित सार्वजनिक महत्व के निम्नलिखित विषयों की जांच के प्रयोजन के लिये एक जांच आयोग नियुक्त करना आवश्यक है, अर्थात् :—

(1) दिनांक 06-07-2011 थाना चांदो अन्तर्गत ग्राम-नवाडीह, चेड़रा नाला के किनारे हुई पुलिस मुठभेड़ में कुमारी मीना खलखों की मृत्यु कैसे हुई.

(2) वे परिस्थितियां तथा कारण जिसके फलस्वरूप घटना घटित हुई.

(3) उक्त घटना में किन-किन व्यक्तियों की मृत्यु हुई या घायल हुये.

(4) ग्राम नवाडीह चेड़रा नाला के किनारे मुठभेड़ में नक्सली कमाण्डर के साथ कुमारी मीना खलखों एवं अन्य 30-35 नक्सलियों के शामिल होने की कथन कहां तक प्रमाणित है.

(5) यदि पुलिस/प्रशासन की ओर से त्रुटि या उपेक्षा हुई तो इसके लिये जिम्मेदार कौन है.

(6) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु क्या उपाय है.

जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का सं. 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार उपरोक्त लोक महत्व की विशेष जांच हेतु एक जांच आयोग नियुक्त करता है जिसकी एकल सदस्य श्रीमती अनिता झा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर होंगी. आयोग अपनी जांच इस अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 03 माह के भीतर पूरी करेगा तथा शासन को रिपोर्ट सौंपेगा.

जांच के दौरान तकनीकी विषय/बिन्दुओं पर आयोग किसी संस्था विशेषज्ञ की सहायता ले सकेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, अतिरिक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.